प्रति,

श्रीमान जिलाधीश महोदय,
सूरजपुर, जिला– सूरजपुर (छ0ग0)

आवेदिकाः– मु0 शैल कुमारी दुबे पत्नि स्व0 राधेश्याम दुबे, जाति– ब्राहम्ण, उम्र लगभग–80 वर्ष, साकिन ग्राम– कोयलारी, थाना व तहसील– भैयाथान, जिला– सूरजपुर (छ0ग0)
हाल मुकाम– भट्ठापारा, सूरजपुर, थाना+तहसील+जिला– सूरजपुर (छ0ग0)

विषयः– तहसीलदार भैयाथान से सांठ–गांठ करके मुझे मृत बताकर मेरी निजी स्वामित्व की भूमि का नामान्तरण तथा विक्रय के साथ मेरी सम्मिलात खाते की भूमि के अनुचित बंटवारे के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही हेतु।

मान्यवर,

आवेदिका की ओर से निम्न विनय है :–

1– यह कि आवेदिका ने दिनांक 11–08–1976 को ग्राम– करकोटी, पटवारी हल्का नं0–11, पो0+थाना+तहसील– भैयाथान, जिला– सूरजपुर (छ0ग0) में खसरा क्र.–45/3 रकबा 0.405 हे0 क्रय की थी। खसरा क्र0–43/3 रिनम्बरिंग में खसरा नं0 344 के रूप में दर्ज हुआ।

2– यह कि सन् 2016–17 में उक्त भूमि के नक्शा में छेडछाड़ व उसके पश्चात् उसका बटांकन भी कर दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर आवेदिका ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, भैयाथान के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

3– यह कि यह राजस्व प्रकरण क्र0–20190261000013/ब–121/2018–19 स्थानान्तरित होकर माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, भैयाथान के द्वारा दिनांक 12–12–2022 को आवेदिका के पक्ष में निर्णित हुआ।

4– यह कि उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अनावेदक विष्णु कुशवाहा ने न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, सूरजपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसका निर्णय दिनांक 19–03–2025 को हुआ, जो पुनः अवलोकनार्थ हेतु न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, सूरजपुर के समक्ष विचाराधीन है।

05— यह कि इसी मध्य आवेदिका के सौतेला पुत्र विरेन्द्रनाथ दुबे ने अपने पुत्र कमलेश, भतीजा शिवम व अन्य संजय के साथ तहसीलदार, भैयाथान संजय राठौर को मिलाकर, सांठ—गांठ कर लगभग एक माह में उक्त भूमि का मुझे मृत बताकर नामान्तरण व तत्काल विक्रय भी कर दिया गया।

06— यह कि उक्त भूमि को आवेदिका ने दिनांक 11—08—1976 को क्रय किया था, जबकि दिनांक 09—02—1967 का आवेदिका का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर नामान्तरण किया गया और नामान्तरण के तीसरे दिन उसे विक्रय भी कर दिया गया और विक्रेताओं का नामान्तरण उसी दिन तहसीलदार महोदय संजय राठौर ने कर दिया, जबकि इस प्रकरण में प्रस्तुत फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु दिनांक 09—02—1967 है, जबकि आवेदिका ने यह भूमि दिनांक 11—08—1976 को क्रय की है, जो कथित मृत्यु दिनांक से आठ वर्ष पश्चात् क्रय की है।

07— यह कि आवेदिका को मृत बताकर नामान्तरण हेतु आवेदन विरेन्द्रनाथ दुबे द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसे प्रकरण क्र0—202501261000001/अ—6 के रूप में दिनांक 28—11—2024 को दर्ज किया गया और मात्र 03 पेशी के पश्चात् दिनांक—27—12—2024 को नामान्तरण आदेश कर दिया गया।

08— यह कि तहसीलदार संजय राठौर द्वारा प्रकरण दर्ज होने के ही दिनांक 28—11—2024 को ईश्तहार का प्रकाशन किया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम— कोयलारी, तहसील— भैयाथान स्थित भूमि खसरा क्र0—344/1 व 344/2 के नामान्तरण के सम्बन्ध में जिसे आपत्ति हो वे आपत्ति प्रस्तुत करें, जबकि नामान्तरित हुई आवेदिका की भूमि ग्राम— करकोटी, तहसील— भैयाथान, जिला— सूरजपुर (छ0ग0) में स्थित है।

09— यह कि तहसीलदार संजय राठौर द्वारा दिनांक 28—11—2024 को ही हल्का पटवारी को मौका जाँच प्रतिवेदन हेतु दिये ज्ञापन में स्पष्ट रूप से ग्राम— कोयलारी स्थित भूमि का उल्लेख है, जबकि नामान्तरण ग्राम— करकोटी स्थित भूमि का किया गया है। ग्राम— कोयलारी स्थित भूमि के ज्ञापन के प्रतिवेदन में हल्का पटवारी द्वारा ग्राम— करकोटी स्थित भूमि का उल्लेख है तथा हल्का पटवारी द्वारा पंचनामा को ही प्रतिवेदन बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जो दोनों प्रतिवेदन दिनांक विहीन है।

10— यह कि तहसीलदार संजय राठौर द्वारा दिनांक 28—11—2024 को प्रकरण दर्ज

करते हुये भी ग्राम– कोयलारी स्थित भूमि का उल्लेख है, जिसे बाद में काटकर हस्तलिखित करकोटी किया गया है।

11– यह कि उक्त नामान्तरण प्रकरण में सरपंच द्वारा जारी पत्र में भी ग्राम– कोयलारी का ही उल्लेख है, जिसे बाद में काटकर दूसरी राईटिंग से ग्राम– करकोटी किया गया है।

12– यह कि दिनांक 28–11–2024 को मौका जाँच हेतु प्रतिवेदन में 06 विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन माँगा गया है। जिस पर 05 बिन्दुओं पर हल्का पटवारी की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13– यह कि उक्त ज्ञापन के बिन्दु क्रं0–04 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वाद भूमि से सम्बन्धित प्रकरण किसी नयायालय में विचाराधीन है ? हाँ, तो किस न्यायालय में तथा कब से विचाराधीन है ? स्पष्ट करें। इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

14– यह कि हल्का पटवारी को भली भाँति ज्ञात था कि उक्त भूमि पर श्रीमान न्यायालय कलेक्टर महोदय, सूरजपुर में प्रकरण लम्बित है।

15– यह कि नामान्तरण प्रक्रिया में हल्का पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से कुछ दिनों पूर्व श्रीमान न्यायालय कलेक्टर महोदय, सूरजपुर द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी, भैयाथान के माध्यम से हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक से उक्त भूमि के बटाकंन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन मांगा गया था।

16– यह कि श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर, सूरजपुर में प्रकरण क्र0–202304260100009/ब–121 (पक्षकार विष्णु कुशवाहा प्रति शैल कुमारी) में दिनांक 10/09/2024 को बटाकंन कैसे हुआ, के सम्बन्ध में हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक शिवप्रसादनगर, भैयाथान से प्रतिवेदन माननीय अनुविभागीय अधिकारी, भैयाथान के माध्यम से माँगा गया था, जिस पर राजस्व निरीक्षक व पटवारी से आवेदिका ने सम्पर्क किया था। काल डिटेल्स से भी इसकी पुष्टि हो सकती है। हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक को स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि आवेदिका जीवित है और माननीय न्यायालय कलेक्टर, सूरजपुर में विष्णु कुशवाहा प्रति शैल कुमारी प्रकरण चल रहा है।

17— यह कि शिवम व संजय के माध्यम से तहसीलदार संजय राठौर भूमियों का एग्रीमेन्ट व क्रय करते हैं।

18— यह कि इस प्रकरण में आवेदिका की भूमि से शिवम व संजय के नाम से विक्रय रूप में प्राप्त भूमि संजय राठौर की ही है, जो प्रकरण के सार्वजनिक हो जाने पर वे अपने नाम नहीं करा पाये, पर आवेदिका की ही सम्मिलात खाते की भूमि जो ग्राम— कोयलारी में स्थित है, उसका भी अनुचित बंटवारा करते हुये उसमें अन्तिम संशोधित निर्णय देने से पूर्व ही अपने विश्वसनीय संजय कुमार के नाम से एग्रीमेन्ट करवाये तथा बाद में भूमि को अपनी पत्नि शारदा राठौर के नाम दिनांक 05—02—2025 को पंजीयन क्र0—सीजी 2024—25—184—1—2958 के माध्यम से प्रतिफल के रूप में प्राप्त किये।

19— यह कि आवेदिका की निजी स्वामित्व की भूमि से 40 डिसमिल व सम्मिलात खाते की भूमि से 30 डिसमिल भूमि जो सड़क से लगे हैं और बहुमूल्य हैं, उन्हें प्राप्त कर संजय राठौर द्वारा अति सक्रियता दिखाते हुये स्वयं अपने ही हस्ताक्षर से मौका जाँच प्रतिवेदन व चौहद्दी तैयार किये।

20— यह कि ग्राम— करकोटी स्थित आवेदिका की निजी स्वामित्व की भूमि का विक्रय हेतु मौका जाँच प्रतिवेदन व चौहद्दी स्वयं के पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर से करके दिनांक 03—01—2025 को विक्रय कराकर उसी दिन नामान्तरण भी कर दिये।

21— यह कि इसी भाँति अत्यधिक सक्रियता दिखाते हुए तहसीलदार संजय राठौर ने आवेदिका की सम्मिलात खाते की भूमि को आवेदिका सहित अन्य खातेदारों का नाम सम्मिलित नहीं करते हुये और उसकी सन्तानों वन्दना, गोघेश, दीपे, दीपेश, मातेश्वरी, सिधेश का फर्जी हस्ताक्षर से अनुचित बंटवारा भी इसी मध्य किये।

22— यह कि आवेदिका ने नामान्तरण के विरूद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, भैयाथान, जिला— सूरजपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की और थाना— भैयाथान को भी इसकी सूचना दी है।

21— यह कि तहसीलदार संजय राठौर अपने पद प्रभाव का प्रयोग करते हुये विरेन्द्रनाथ दुबे, कमलेश दुबे, शिवम दुबे व संजय के साथ मिलकर आवेदिका के आवेदन पर होने वाले कार्यवाही को प्रभावित कर रहे हैं।

मान्यवर,

आवेदिका अनेक रोगों से पीड़ित 80 वर्षीय वृद्धा है। उसे राजस्व और आपराधिक प्रकरण में शीघ्र न्याय की आवश्यकता है। इसी हेतु आपके सम्मुख उपस्थित है।

दिनांक– 26/05/2025

ह0 आवेदिका
शैलकुमारी
(हांफ माखरे)

प्रतिलिपिः–

1– श्रीमान् मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
2– श्रीमान् गृहमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
3– श्रीमान् राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
4– श्रीमान् संम्भागायुक्त महोदय, सरगुजा संभाग
5– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)
6– श्रीमान् पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय, ओड़गी, सूरजपुर (छ0ग0)
7– समाचार प्रसारण / प्रकाशन हेतु।

प्रति,

श्रीमान जिलाधीश महोदय,
सूरजपुर, जिला– सूरजपुर (छ0ग0)

मान्यवर,

प्रस्तुत आवेदन में आवेदिका की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत है :–

1– आवेदिका को मृत बताकर किये गये नामान्तरण की प्राप्त नकल की छायाप्रति।

2– कमलेश दुबे तथा शिवम, संजय के नाम रजिस्टर्ड बैनामा की छायाप्रति।

3– आवेदिका द्वारा क्रय की गयी दिनांक 11–08–1976 की रजि0 बैनामा की छायाप्रति।

4– न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, भैयाथान, जिला– सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा पारित आदेश दिनांक–12–12–2022 की सतयापित प्रति की छायाप्रति।

5– आवेदिका के जीवित होने सम्बन्धी दस्तावेज :–

अ– आवेदिका का आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति।

ब– आवेदिका के पति स्व0 राधेश्याम दुबे की पत्नि के रूप में पेंशनर की पासबुक की छायाप्रति।

स– श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश, सूरजपुर (छ0ग0) के व्यवहार अपील महेन्द्र दुबे वगै0 प्रति गंगादी वगै0 में आवेदिका को प्राप्त नोटिस की छायाप्रति।

द– आवेदिका द्वारा ग्राम– कोयलारी में ही क्रय की गयी एक भूमि पर शैल कुमारी प्रति शीतला प्रसाद वगै0 प्रकरण में दिनांक 30–07–2019 को हुये निर्णय की छायाप्रति।

य– आवेदिका की ग्राम– कोयलारी स्थित सम्मिलात खाते की भूमि पर श्रीमान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, सूरजपुर के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय पर हुये अपील की छायाप्रति। दोनों प्रकरणों में आवेदिका पक्षकार है और उसे मृत बतलाने वाला विरेन्द्रनाथ दुबे भी पक्षकार है।

र– माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, सूरजपुर छत्तीसगढ़ के महेन्द्र प्रति गंगा के दिनांक 24–02–2018 के आदेश की अपील की छायाप्रति। दोनों प्रकरणों में आवेदिका के साथ उसे मृत बतलाने वाला विरेन्द्रनाथ दुबे भी पक्षकार है।

ल– तहसीलदार संजय राठौर द्वारा प्रतिफल में प्राप्त उसकी पत्नि के नाम से भूमि के नामान्तरण का ईश्तहार व रजि0 क्र0 की छायाप्रति।

दिनांक–26/5/2025

हस्ताक्षर आवेदिका
शैल कुमारी
(पति भर्ता)